अहले सुन्नत कौन

46

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

सब तारीफ़े अल्लाह तआला के लिये हैं जो सारे जहानों का पालनहार है। हम उसी की तारीफ करते हैं और उसी से मदद और माफी चाहते हैं। अल्लाह की लातादाद सलामती, रहमतें और बरकतें नाज़िल हों मुहम्मद सल्ल. पर, आप की आल व औलाद और असहाब रज़ि. पर। व बअद!

हममें से जो कोई आखिरत में निजात चाहता है और जन्नत पाने की ख्वाहिश रखता है तो उसे चाहिये कि दीन उसे ही माने जो आप सल्ल. ने बतलाया और जिस पर सहाबा किराम रज़ि. चले। इसके सिवा को दीन समझना या दीन मान कर अमल करना सिर्फ और सिर्फ गुमराही है। अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ़रमाया ''(ऐ लोगों) मै तुममें दो चीज़े छोड़े जा रहा हूँ। अगर तुम इन पर मज़बूती से क़ायम रहोगे तो हरगिज़ गुमराह न होगे। वो दो चीज़े (1) अल्लाह की किताब और (2) उसके नबी सल्ल. की सुन्नत है।(मौत्ता मालिक–1601, हाकिम)

सुन्नत

सुन्नत का लुगवी मअनी है– वह रास्ता जिस पर चला जाए। चाहे वह अच्छा हो या बुरा। और शरई इस्तेलाह में सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्ल. के तरीके को कहा जाता है। मुहद्दिसीन की इस्तेलाह में सुन्नत आप सल्ल. के अक़वाल, अफवाल और तकरीर का नाम है। आप सल्ल. की सीरत, अखलाक, आदात और इज्तेहाद सभी आप सल्ल. की सुन्नत में शामिल हैं। मोटे तौर पर सुन्नते रसूल सल्ल. की तीन किस्में हैं–

(1) सुन्नते कौली– जैसे आप सल्ल. का यह फरमान ''जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ता देखते हो, उसी तरह नमाज़ पढ़ो।'' (बुखारी–631 – दारमी–1293)

(2) सुन्नते फैअली–फैअली सुन्नत के दायरे में आप सल्ल. की पूरी अमली ज़िन्दगी आ जाती है। मसलन – सहाबा का यह फरमाना ''जब हम नमाज़ के लिए खड़े होते तो अल्लाह के रसूल सल्ल. हमारी सफें दुरुस्त करते। जब हम सीधे खड़े हो जाते तो फिर ''अल्लाहु अकबर'' कह कर नमाज़ शुरु करते।'' (अबु दाऊद–665,663–सही)

(3) सुन्नते तक़रीरी–सहाबी रज़ि. के किसी फेअल व अमल पर आप सल्ल. का खामोश रहना, सुन्नते तकरीरी कहलाता है। मसलन– आप सल्ल. ने एक शख्स को फज्र की नमाज़ के बाद दो रकअतें पढ़ते देखा तो फरमाया ''सुबह की नमाज़ तो दो रकअत है।'' उस शख्स ने जवाब दिया– मैंने फर्ज़ नमाज़ से पहले की दो रकअतें नहीं पढ़ी थीं, लिहाज़ा उन्हें अब पढ़ा है। उसका यह जवाब सुनकर आप सल्ल. खामोश हो गये। (अबु दाऊद–1267– इब्नेमाजा–1154–हसन)

सुन्नत की यह तीनों किस्में एक ही मर्तबे की हैं और शरीअत में हुज्जत का दर्जा रखती

हैं। इसके बावजूद यह देखने में आता है कि अहले सुन्नत वल जमाअत कहलाने वाले कई लोग अपनी नमाज़ें नबी सल्ल. के तरीके को छोड़कर किसी उम्मती के तरीके पर अदा करते हैं। नमाज़ में सफें भी सीधी नहीं होतीं। एक–दूसरे से मिलकर खड़े होने के बजाए दूर–दूर (फासला रखकर) खड़े होते है। फज्र की जमाअत हो रही होती है और लोग सुन्नतें पढ़ना शुरु कर देते हैं। जबकि आप सल्ल. का फरमान है– फर्ज़ नमाज़ के होते कोई नमाज़ नही होती। (मुस्लिम–1199 – इब्नेमाजा–1152) अफसोसनाक बात यही है कि सुन्नते रसूल सल्ल. से दूर और बिदआत और खुराफात में चूर हज़रात खुद को अहले सुन्नत कहते नहीं थकते और जो असली अहले सुन्नत हैं उन्हें बुरे नाम और बुरे अलकाबात से नवाजा जाता है। जबकि असली अहले सुन्नत ज़िन्दगी के हर मामले में सुन्नत तलाश करते हैं और अपनी ताकत भर उन पर अमल भी करते हैं। वोह यह मानते हैं कि अल्लाह की किताब और सुन्नते रसूल सल्ल. दोनों मिलकर पूरा दीन बनते हैं। जिस तरह अल्लाह की किताब (कुरआन) अल्लाह ने नाज़िल किया है उसी तरह सुन्नत भी अल्लाह ही की तरफ से नाज़िल कर्दा है। इसलिए कि ''नबी सल्ल. अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोलते। वह वही कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से वहय होती है।'' (नज्म–3,4) असली अहले सुन्नत यह मानते हैं कि

(1) दीनी मामलात में आप सल्ल. की इताअत फर्ज़ है। (अनफाल–20– नूर–56)
(2) आप सल्ल. की इताअत और पैरवी कामयाबी की ज़ामिन है। (नूर–51,52)
(3) आप सल्ल. की सुन्नत के मुताबिक किये गये आमाल का पूरा–पूरा अज्र मिलेगा। (हुजुरात–14)
(4) गुनाहों की माफी आप सल्ल. की पैरवी पर निर्भर है। (आले इमरान–31)
(5) अल्लाह की और उसके रसूल सल्ल. की इताअत करने वाले लोग कयामत के दिन नबीयों, सिद्दीकों, शहीदों और नेक लोगों के साथ होंगें। (निसां–69)
(6) अल्लाह पर और उसके रसूल सल्ल. पर ईमान लाने के बावजूद जो लोग उनका हुक्म नहीं मानते, वो मोमिन नहीं। (निसां–65)
(7) अल्लाह के रसूल सल्ल. की नाफरमानी गुमराही है। (अहज़ाब–36)
(8) अल्लाह की और उसके रसूल सल्ल. की नाफरमानी की सज़ा जहन्नम है। (फतह–17)
(9) रसूल सल्ल. की इताअत अल्लाह की इताअत है। (निसां–80)
(10) सुन्नते रसूल सल्ल. की पैरवी करने वालों को आप सल्ल. ने जन्नत की खुशखबरी दी है। (बुखारी–7280)
(11) उम्मत में इख्तिलाफ के वक्त आप सल्ल. की सुन्नत पर मजबूती से जमे रहना ही निजात का जरिया होगा। (अबुदाऊद–4607)
(12) सवाब के काबिल अमल वही है जो आप सल्ल. की सुन्नत के मुताबिक हो। (बुखारी–5063)

बिदअत

''लुगत में बिदअत का मअनी कोई चीज़ ईजाद करना या नये सिरे से बनाना होता है

और शरई इस्तेलाह में सवाब हासिल करने की गरज़ से दीन में किसी ऐसी चीज़ या बात का बढ़ाना, जिसकी बुनियाद असल सुन्नत में मौजूद न हो'' बिदअत कहलाता है। आप सल्ल. ने फरमाया ''अल्लाह तआला बिदअती का कोई अमल कुबूल नहीं करता। यहां तक कि वह अपनी बिदअत छोड़ दे और तौबा कर ले।'' (इब्नेमाजा–50–ज़ईफ) सुफयान सौरी रह. ने फरमाया '' शैतान को गुनाह के मुकाबले बिदअत ज्यादा पसन्द है क्योंकि गुनाह से तौबा की जाती है जबकि बिदअत से तौबा नहीं की जाती।'' (शरह अल सुन्नत) अल्लाह तआला ने जहां अहकामात नाज़िल किये हैं, वहीं उन अहकामात पर अमल करने का तरीका भी बतलाया है। लोगो को अपनी मरज़ी पर नहीं छोड़ा बल्कि फरमाया ''यकीनन तुम्हारे लिए रसूल सल्ल. की ज़िन्दगी में बहतरीन नमूना है।'' (अहज़ाब–21) और ''जो रसूल (सल्ल.) तुम्हें दें, उसे ले लो और जिससे रोक दें, उससे रुक जाओ।'' (हश्र–7) मतलब यह कि अल्लाह की कोई सी भी इबादत या उसकी रज़ा का कोई काम रसूल सल्ल. के बतलाए तरीके के मुताबिक अदा करना होगा, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं। जो बात किताब व सुन्नत से साबित हो जैसे 'निकाह' उसे तक्वा समझ कर छोड़ देना गुमराही है।'' (बुखारी–5063) बिदअत इज़ाफी भी गुमराही है। यह उस बिदअत को कहते हैं जो असल के एतेबार से तो साबित हो, लेकिन कैफियत व तरीके के एतेबार से साबित न हो। इसीलिए अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. ने कूफा की मस्जिद में लोगो को जमा होकर अल्लाह की तस्बीहात दानों पर शुमार करके करने से मना किया और उन्हें बिदअती करार दिया। (दारमी–210) आप रज़ि. ने कसम खाकर फरमाया ''अगर तुम अपने नबी की सुन्नत छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे।'' (इब्नेमाजा–777) इसलिए कि ''जब भी कोई कौम बिदअत ईजाद करती है तो उनमें से एक सुन्नत उठा ली जाती है।'' (दारमी–98)

बेशक! नेक आमाल का दारोमदार नेक नीयती पर है। लेकिन नीयत का अच्छा होना किसी गलत काम को अच्छा नहीं बना सकता। उसके लिए सुन्नत की पैरवी और शरीयत की पाबन्दी भी ज़रुरी है। खैर में ज्यादती हमेशा खैर नही होती बल्कि अक्सर हालात में बुराई में बदल जाती है। जैसे बहादुरी में ज्यादती जुनून की शक्ल इख्तियार कर लेती है और कमी बुज़दिली बन जाती है। सखावत अगर हद से बढ़ जाए तो फिजूल खर्ची और अगर कम हो जाए तो कंजूसी करार पाती है।

इसीलिए असली अहले सुन्नत सुन्नते रसूल सल्ल. से चिमटे रहते हैं और समाज में राइज इन जैसी तमाम बिदआत और खुराफात के करीब भी नहीं जाते।
1. ईद मीलादुन्नबी (सल्ल.) 2. आखिरी बुध 3. शब बराअत 4. शबे मेअराज 5. रजब के कुन्डे 6. रुसूमाते मुहर्रम 7. ग्यारहवीं शरीफ 8. मज़ारात पर उर्स और मेले 9. तीजा, दसवां, चालीसवां 10. कुरआन ख्वानी (मुर्दे को बख्शवाने के लिए) 11. अहदनामा 12. इमाम ज़ामिन बांधना 13. अरफा करना 14. तबर्रुक की रोटियां 15. शरअ मुहम्मदी मेहर 16. शादी की मुख्वजा रस्में 17. चौथी खेलना 18. नई दुल्हन का मुहर्रम व शअबान का चांद मेके जाकर देखना 19. बीबी की फातिहा 20. बीबी की कहानी मानना 21. बीबी की सेहनक 22. महफिले मीलाद 23. बारह इमामों के प्याले

24. मन्नत की बाली व कड़ी पहनना 25. सुहागनें खिलाना 26. बड़े पीर साहब की हंसली पहनना 27. खुद साख्ता सलाम पढ़ना 28. खुद साख्ता दुरुद पढ़ना 29. शिर्किया नअत ख्वानी 30. तअवीज़ गन्डे देना व बांधना 31. खुद साख्ता दुआएं 32. खुद साख्ता वज़ाइफ 33. गैरुल्लाह को पुकारना 34. हमेशा कत्थई रंग का साफा बांधना 35. सिलसिला ए तरीकत 36. कव्वालियां 37. खत्म ख्वाजगान 38. शबीना 39. रोजा कुशाई 40. बिस्मिल्लाह करना 41. अंगूठे चूमना 42. नमाज़, रोज़े व वुज़ू की ज़ुबानी नीयत करना 43. कब्र पर अज़ान देना 44. मजारात पर गुम्बद बनाना 45. मजारात को गुस्ल देना 46. मजारात पर रोशनी करना 47. कब्रें पक्की बनाना 48. कब्रों पर फूल चढ़ाना 49. कब्र पर अगरबत्ती जलाना 50. कब्र पर कुरआन पढ़ना–पढ़वाना 51 खानकाहें बनाना 52. घरों व दुकानों पर मजारात के तुगरे लगाना 53. गैरुल्लाह के लिए कयाम करना 54. गैरुल्लाह को तअज़ीमी सज्दा करना
55. सलाते गौसिया पढ़ना 56. चिल्ले लगाना और चिल्लाकशी करना 57. बुज़ुर्गों के नाम खत्म 58. बलाएं दूर करने की नीयत से अज़ान देना 59. कब्रिस्तान में मस्जिद बनाना 60. मसाजिद, मदारिस व घरों में मुर्दा दफनाना 61. मुर्दे से माफी मांगना और कहा सुना माफ करना 62. सोग में काले कपड़े पहनना 63. मसाजिद पर रोशनी करना 64. मस्जिदों में टोपियां रखना 65. वुज़ू में गर्दन का मसह करना 66. फर्ज नमाज़ के बाद मुख्वज़ा इज्तेमाई दुआ 67. वुज़ू के दौरान दुआएं पढना 68. छै कलमें पढ़ना–पढ़वाना 69. बिस्मिल्लाह का कुरआन खत्म करना 70.तिलावते कुरआन के बाद सदकल लाहुल अज़ीम कहना 71. नमाज़े ईद से पहले तकरीर करना 72. नमाज़े ईद के बाद गले मिलना 73. चारों हाथों से मुसाफाह करना और बाद में हाथ सीने पर रखना 74. जुमे के खुत्बे से पहले सुन्नते पढ़ने के लिए वक्फा देना 75. बाद नमाजे जुमआ ज़ुहर एहतियाती पढ़ना 76. नमाज़ पढ़कर इमाम का सिर्फ शुमाल ही की तरफ मुंह करके बैठना 77. नमाज़ के बाद हथेलियां आसमान की तरफ रख के सज्दा करना 78. अकीक की अंगूठी असरदायक समझकर पहनना 79. औरतों व मर्दों का अलग–अलग तरीके से नमाज़ पढ़ना 80. अन्धी तकलीद करना।

बिदआत की इस फहरिस्त में से कुछ की वज़ाहत–

(1) अरफा– शब बराअत से दो दिन पहले अरफे के नाम से नये और पुराने मुर्दों की फातिहा दिलाना।

(2) दुआओं में इज़ाफे– वो दुआएं जो सही अहादीस से साबित हैं, उनमें भी अपनी तरफ से इज़ाफा कर दिया गया मानो आप सल्ल. की सिखलाई दुआएं अधूरी हों। जैसे– ''जब आप सल्ल. सलाम फैरते तो न बैठते मगर इतनी देर कि उसमें कहते– अल्लाहुम्मा अन्तस्सलाम, व मिन्कस्सलाम, तबारकता या ज़ल्जलालि वल इकराम'' (मुस्लिम–970,971) लेकिन आप सल्ल. की इस दुआ को काफी न मानकर उसमें यह इज़ाफा कर दिया गया '' अल्लाहुम्मा अन्तस्सलाम, व मिन्कस्सलाम (व इलैका यरजउस्सलाम, हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिल्ना दारस्लाम) (तबारकता रब्बना व तअलयता) या ज़ल्जलालि वल इकराम।''

इसी तरह अजान के बाद की भी दुआ ''अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहिद दअवतित ताम्मति वस्सलातिल काइमति आति मुहम्मदा निल वसीलता वल फज़ीलता वब असहु मकामम महमूदा निल्लज़ी व अत्तह।'' में भी ''फज़ीलता'' के बाद 'व दराजतर्रफीअता' और ''व अत्तह'' के बाद 'वरजुकना शफा अतहु यौमल कियामा इन्न क ला तमुखलिफुल मीआद। बि रहमतिका या अर हमर राहेमीन' अलफाज़ आप सल्ल. की दुआ को अधूरा जानकर या मानकर बढ़ा दिये गये और आप सल्ल. की गुस्ताखी और ना फरमानी करने का कोई लिहाज़ न रखा गया।

नमाज़, रोज़े और वुज़ू की ज़ुबान से नीयत करना–

आज आम मुसलमान कूरआन व सही हदीस पर अमल करने के बजाए सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा अमल करता है। वोह बातें चाहे उसने अपने बुज़ुर्गों से सुनी हों या मौलवी–मुल्लाओ से। वो यह समझने को ही तैयार नहीं कि नीयत दिल के इरादे का नाम है और नीयत की जाती है, पढ़ी नही जाती और यह कि ''अल्लाह सीने में छिपी बातों कों जानता है।'' (मुल्क–आयत–12) वुज़ू हो या नमाज़ इसकी ज़ुबान से नीयत करना और नीयत के अल्फाज़ ज़बान से अदा करना न रसूल सल्ल. से साबित है, न सहाबा रज़ि. से और न ताबईन रह. से। इसी तरह रोज़े की नीयत ''व बि सौमि गदिन नवयतु मिन शहरि रमज़ान'' भी आप सल्ल. और सहाबा रज़ि. से साबित नहीं है।

सिलसिला हाय तरीकत–

कुछ लोगों का यह मानना है कि शरीअत और तरीकत दोनों मिलकर इस्लाम बनता है। हालांकि यह दोनों हम मअनी लफ्ज़ हैं। लेकिन कुछ मज़हबी रहनुमाओ ने इन्हें अलग–अलग कर दिया है। हमारे यहां ये मशहूर सिलसिले नक्शबन्दी, सहरवर्दी, कादरी, चिश्ती, अशरफी, कलन्दरी, रिज़वी, निज़ामी, कछोछवी, साबरी, वारसी, वास्ती वगैरह राइज हैं और इनमें से किसी एक सिलसिले में शामिल होकर किसी के हाथ पर बैअत करना सुन्नत समझा जाता है। जबकि कुरआन व हदीस में इसका कहीं नामों–निशान भी नहीं मिलता। झूठी और मनघड़न्त रिवायत का सहारा लेकर बिदआत की तालीम दी जाती है। अल्लाह के रसूल सल्ल. ने मस्जिदों को आबाद करने का हुक्म दिया था। मगर इन खानकाही सिलसिलों ने अवाम को मसाजिद से दूर और मज़ारात के करीब कर दिया है।

बिस्मिल्लाह करना–

जब बच्चा चार साल चार माह और चार दिन का होता है तब एक तकरीब की जाती है। किसी मशहूर मौलवी या कारी को बुलाकर बच्चे या बच्ची को बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाती है। दावत का इन्तेजाम किया जाता है। खुद अपने से शरीअत साज़ी की जाती है इसके बावजूद खुद को अहले सुन्नत कहा जाता है।

रोज़ा कुशाईझ– इस रस्म ने भी अब एक वबा की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस बद रस्म को निभाने वाले इसे बड़ी नेकी समझते हैं। आने वाले मेहमान रोज़ा रखने वाले बच्चे या बच्ची के लिए तोहफा लेकर आते हैं। मुबारकबाद देते हैं। इन मेहमानों में बेरोज़ेदार भी कम नहीं होते। अजीब बात है जब बच्चा पहली बार कलमा पढ़ता है, मस्जिद जाता है, नमाज़ पढ़ता है तो कोई तकरीब नही होती। इसी तरह पहली बार

ज़कात देने, ज़िहाद को जाने या हज को जाने के मौके पर भी कोई एहतेमाम नहीं किया जाता। मगर रोज़ा कुशाई की रस्म शरीअत को ठेंगा दिखाकर धूम–धाम से अदा की जाती है।

मर्दों व औरतों का अलग–अलग तरीके से नमाज़ पढ़ना–

नमाज़ में मर्द अपने हाथ नाफ के नीचे और औरतें सीने पर बांधें। मर्द जब सज्दा करे तो नाक, पेशानी, हथेलियां, घुटने और उंगलियां ज़मीन से ऊपर रखें और औरतें अपने जिस्म को ज़मीन से लगाकर रखें। हालांकि औरत व मर्द की नमाज़ में सिवाए लिबास और सतरपोशी के कोई फर्क नहीं। आप सल्ल. का मर्दों व औरतों दोनों को हुक्म यह है कि ''नमाज़ उस तरह पढ़ो, जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ते देखते हो।'' (बुखारी–631 –

फर्ज़ नमाज़ के बाद इज्तेमाई दुआ–

जब भी इमाम फर्ज़ नमाज़ से सलाम फेर कर फारिग होता है तो वह और अक्सर सभी नमाज़ी मिलकर दुआ करते है। इमाम दुआ पढ़ता जाता है और मुक्तदी आमीन–आमीन कहते रहते हैं। यह बात लगभग सभी मसाजिद में नज़र आती है। इस तरह हर नमाज़ के बाद ज़रुरी समझकर इज्तेमाई दुआ करना भी आप सल्ल. या सहाबा रज़ि. से साबित नहीं है। हां अगर कभी कभार किसी की फरमाइश पर दुआ कर ली जाए तो कोई हरज़ नहीं क्योंकि ऐसा आप सल्ल. से साबित है। असली अहले सुन्नत सुन्नते रसूल सल्ल. की तलाश में रहते हैं और जैसे ही उन्हें वह मिलती है, अपनी ताकत भर उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। कई बार इसी वजह से वह अपनों में भी अजनबी बन जाते हैं। लोगो की तकलीफ बरदाश्त करते हैं मगर बिदअत से मुमकिन हद तक दूर रहने और बचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वह यह मानते हैं कि आख़िरत के बाज़ार में सिर्फ़ रसूल सल्ल. की मोहर वाला सिक्का ही चलेगा। और बिदअतों जाली करेन्सी की कोई वकअत नहीं होगी।

मुहतरम हज़रात! अगर आप सुन्नते रसूल सल्ल. से दूर और बिदआत में मुब्तिला हैं तो अल्लाह से तौबा कीजिए और पलट आईये सुन्नते रसूल सल्ल. की छाव में। इसलिए कि इर्शादे बारी तआला है ''जो कोई अल्लाह की और उसके रसूल सल्ल. की इताअत करेगा, अल्लाह उसे ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिसके नीचें नहरें बहती होंगी। वह वहां हमेशा रहेगा और यही बड़ी कामयाबी है।'' (निसा–13)

और आप सल्ल. ने फरमाया ''मेरी उम्मत के सब लोग जन्नत में जाएंगें, सिवाए उसके जो इन्कार करे।'' सहाबा रज़ि. ने अर्ज़ किया कि इन्कार कौन करेगा? आप सल्ल. ने फरमाया ''जिसने मेरी इताअत की वह जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी ना फरमानी की (गोया) वह इन्कार करने वाला है।'' (बुखारी–7280)

अल्लाह हम सभी को सुन्नते रसूल सल्ल. पर चलाए और बिदआत से बचाए। आमीन

आपका दीनी भाई

मुहम्मद सईद

मो. 9214836639

दिनांक. 22/03/12

माखूज़

तलाशे हक़

अज़–इरशादुल्लाहमान